

कार्यालय दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित बालोद
जिला-बालोद (छ.ग.)

पंजीयन क्रमांक-145 / REG. / दुर्ग / दिनांक 01.04.2002

// शक्कर विक्रय हेतु निविदा फार्म //

वर्ष 2023-24

ई-निविदा क्रं. 152766, दिनांक 26 / 02 / 2024



प्रबंध संचालक
दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर
कारखाना मर्यादित-बालोद
जिला-बालोद (छ.ग.)

निविदा शुल्क- 1000 / -रु.

नर्सोजी मैय्या सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित बालोद
ft yk&ckykn ¼N-x-½

ई-निविदा क्र./ 152766 /दिनांक 26.02.2024

(नोट: निविदा फार्म तीन भागों में है जिसमें प्रथम भाग को ई.एम.डी. जिसे भाग-एक में रखा जाएगा और दूसरे भाग में तकनीकी भाग जिसे भाग-दो में रखा जाएगा तथा तीसरे भाग में व्यावसायिक भाग जिसे भाग-तीन में ऑनलाईन भरा जावेगा। ई-टेंडर में निविदाकारों द्वारा भाग लेने के लिए ई-टेंडर के वेबसाइट में जा कर फार्म राशि 1311/- रु. (1000/- रु. + 311/- रु चीप्स के द्वारा ली जाने वाली सर्विस चार्ज) **ऑनलाईन** के माध्यम से जमा कर शासकीय वेबसाइट (E-Procurement Portal: <https://eproc.cgstate.gov.in>) से फार्म upload किया जाना है। प्रत्येक पृष्ठ पर निविदाकार का हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। किसी फार्म/व्यवसायी के प्रतिनिधि द्वारा निविदा प्रस्तुत किया जाता है, तो इस आशय का अधिकार-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

1-अमानत/ई.एम.डी. राशि –(भाग-एक में रखें)

निविदाकार को निविदा फार्म के साथ ही निविदा में क्रय हेतु प्रस्तावित की गई शक्कर मात्रा की सम्पूर्ण राशि का **5% राशि ई.एम.डी.** के रूप में **आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी. के माध्यम से** "दंतेश्वरी मैय्या सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित बालोद जिला-बालोद के नाम पर बैंक आफ बड़ौदा बालोद के **एकाउन्ट नम्बर 31360100006799 आई.एफ.एस.सी. (IFSC) कोड BARBOBALODX** में जमा करना अनिवार्य होगा। उक्त निर्धारित समय तक ई.एम.डी. राशि जमा नहीं होने तथा कम पाए जाने पर निविदा फार्म निरस्त माना जावेगा। जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी क्रेता की होगी। ई. एम. डी. की राशि निविदाकार को उपरोक्त दिए गए बैंक एकाउंट नंबर पर ही जमा करना अनिवार्य होगा।

जमा अमानत/ई.एम.डी. राशि का विवरण-

1. एन.ई.एफ.टी./आर.टी.जी.एस.-
क्रमांक-..... दिनांक-.....
2. एन.ई.एफ.टी./आर.टी.जी.एस. राशि -
3. जारीकर्ता बैंक का नाम एवं पता -

2- तकनीकी भाग (भाग-दो में रखें)

प्रति,

प्रबध संचालक ,
दंतेश्वरी मैय्या सहकारी शक्कर कारखाना
मर्यादित बालोद जिला-बालोद (छ.ग.)

आपके कारखाना द्वारा ई-निविदा क्रमांक 152766 दिनांक 26/02/2024 व्यावसायिक भाग में (भाग-तीन) दर्शाए अनुसार शक्कर की मात्रा उनके सामने दर्शाए गये मूल्य पर क्रय करने हेतु दर प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं/मेरे फर्म द्वारा शक्कर क्रय/विक्रय/परिवहन/भण्डारण से संबंधित अधिनियमों/नियमों और केन्द्र तथा राज्य शासन द्वारा तत्संबंध में समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के साथ ही दंतेश्वरी मैय्या सहकारी शक्कर कारखाना मर्या. बालोद जिला- बालोद (छ.ग.) द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानदण्डों का पालन करने की सहमति देता हूँ।

एक - व्यवसायी/फर्म का विवरण -

1. फर्म का नाम एवं पूर्ण पता -
2. मालिक/संचालक का नाम
3. दूरभाष/मोबाईल नम्बर
4. फेक्स नम्बर
5. जी.एस.टी.
6. आयकर रिटर्न (गत 02 वित्तीय वर्ष में किसी एक वर्ष का) 2021-22
2022-23
7. पेन कार्ड की छायाप्रति स्वयं के द्वारा प्रमाणित
8. खाद्य विभाग से जारी लाईसेंस की छायाप्रति स्वयं के द्वारा प्रमाणित वैधता तिथि सहित
.....वैधता तिथि
9. ई.एम.डी. जमा करने संबंधी प्रमाण स्वरूप UTR NO/जमा पावती की मूल प्रति
10. ई.एम.डी. राशि वापस किए जाने हेतु फर्म का बैंक एकाउंट नंबर
आई.एफ.एस.सी.कोड (IFSC-Code)
बैंक एवं शाखा का नाम

एक (एक)– व्यवसायी/फर्म के प्रतिनिधि का विवरण –

यदि प्रतिनिधि के माध्यम से निविदा प्रस्तुत किया जा रहा हो तो प्रतिनिधि के संबंध में निम्नानुसार विवरण अनिवार्य रूप से दिया जावे –

1. प्रतिनिधि का नाम एवं पूर्ण पता –
2. दूरभाष/मोबाईल नम्बर
3. ई-मेल
4. व्यवसाय एवं पता –
5. उद्योग/फर्म में प्रतिनिधि का पद
6. अधिकार पत्र मूल प्रति में (अथोरिटी लेटर)

मैं दंतेश्वरी मैथ्या सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित बालोद जिला–बालोद (छ.ग.) द्वारा जारी ई–निविदा क्रमांक **152766/दिनांक 26/02/2024** के लिए श्री/मेसर्स..... पता.....

..... की ओर से निविदा प्रस्तुत कर रहा हूँ। उक्त फर्म द्वारा मुझे इस कार्य हेतु अधिकृत किया गया है। अधिकार पत्र इस निविदा के तकनीकी भाग में भाग–दो में सलग्न कर रहा हूँ। मेरे द्वारा दी गई समस्त जानकारी सही और सत्य है। मैंने शक्कर विक्रय से संबंधित नियमों/शर्तों को पढ़ और समझ लिया है। जो मुझे मान्य है। इस निविदा के संबंध में मेरे द्वारा किया गया प्रत्येक कृत्य निविदा से संबंधित फर्म/व्यवसायी, की ओर से किया गया माना जाएगा। किसी प्रकार से गलत पाये जाने पर मैं जिम्मेदार रहूँगा।

दिनांक

निविदाकार/प्रतिनिधि का हस्ताक्षर

नाम एवं पता.....

उद्योग/फर्म की सील

दो- ई-निविदा का प्रस्तुतीकरण एवं खोलना-

निविदाकार को ई-निविदा प्रस्तुत करने हेतु तीन पार्ट में अपलोड किया जाना है। प्रथम भाग में ई.एम.डी. की राशि (आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी.) दूसरे भाग में ई-निविदा के नियम एवं शर्तों के अनुसार उद्योग/फर्म से संबंधित सम्पूर्ण दस्तावेज संचालक/मालिक का पैन कार्ड, उद्योग/उद्यमी का नाम, जी.एस.टी. नंबर, आयकर रिटर्न, रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, खाद्य विभाग से जारी लायसेन्स प्रमाण-पत्र अभिप्रमाणित छायाप्रति अपलोड करना तथा तीसरे भाग में निविदा मात्रा एवं दर संबंधी प्रपत्र अपलोड करना होगा। उक्त भाग ई-निविदा में (E-Procurement Portal: <https://eproc.cgstate.gov.in>) में upload किया जाना अनिवार्य होगा।

तीन- निविदा की शर्तें -

दंतेश्वरी मैय्या सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित बालोद जिला-बालोद (छ.ग.)से शक्कर क्रय करने वाले फर्म/व्यवसायी का नीचे उल्लेखित शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।

1. निविदाकार द्वारा शक्कर क्रय करने हेतु खाद्य विभाग से जारी वैध लाईसेंस जिसमें शक्कर का उल्लेख हो छायाप्रति निविदाकार द्वारा हस्ताक्षरित एवं फर्म का मुहर के साथ जमा किया जाना अनिवार्य होगा।
2. जी.एस.टी. नम्बर की छायाप्रति जिसमें निविदाकार का हस्ताक्षर एवं फर्म का मुहर के साथ जमा किया जाना अनिवार्य होगा।
3. निविदाकार द्वारा आयकर रिटर्न (गत 02 वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 में किसी एक वर्ष का) जमा किया जाना अनिवार्य होगा।
4. शक्कर क्रय करने के लिए भाव पत्र न्यूनतम **ग्रेड एस-30 का 15000 क्विंटल** मात्रा की होगी जो माननीय उच्च न्यायालय के प्रकरण क्रमांक WPC No. 738 of 2024 से प्राप्त आबंटन पर आधारित होगा जिसके आधार पर मात्रा कम या ज्यादा हो सकता है। निविदा में **3000 क्विंटल** से कम मात्रा के लिये दर प्रस्तुत करने वाले निविदाकार की निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
5. निविदा में उचित दर प्राप्त नहीं होने की स्थिति में निविदा कमेटी द्वारा निविदाकार के साथ निगोसिएशन किया जा सकता है, जो कि अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। एवं सभी निविदाकारों को निविदा में उपस्थित होना अनिवार्य होगा।

6. निविदा भरते समय निविदाकार अपने तरफ से किसी प्रकार की शर्तों/टीप प्रस्तुत निविदा में उल्लेख नहीं करेगा, यदि निविदाकार के द्वारा ऐसा किया जाता है तो उसे स्वीकार नहीं किया जायेगा।
7. शक्कर खरीदी हेतु निविदा फार्म में केवल एक ही दर प्रस्तुत करे एक से अधिक दरो पर विचार नहीं किया जायेगा।
8. निविदा में मात्रा एवं दर का उल्लेख स्पष्ट रूप से अंको एवं शब्दों में लिखा हुआ होना चाहिए। कांट-छॉट होने पर निविदा निरस्त की जा सकती है।
9. निविदा फार्म दिनांक **11/02/2024** से दिनांक **26/02/2024** दोपहर **12:00** बजे तक दंतेश्वरी मैय्या सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित बालोद जिला-बालोद (छ.ग.) में ई-टेंडर में निविदाकारों द्वारा भाग लेने के लिए ई-टेंडर के वेबसाइट में जा कर फार्म राशि 1311/- रु. (1000/- रु. + 311/- रु चीप्स के द्वारा ली जाने वाली सर्विस चार्ज) ऑनलाईन के माध्यम से जमा कर शासकीय वेबसाइट (E-Procurement Portal: <https://eproc.cgstate.gov.in>) से फार्म upload किया जा सकता है।
10. ई-निविदा दिनांक **26/02/2024** को दोपहर **12:00** बजे तक **ऑनलाईन फार्म भर कर निविदा फार्म upload** करना अनिवार्य होगा। तत्पश्चात् दोपहर **01:00 बजे** विक्रय समिति/निविदाकारों के समक्ष निविदा खोला जायेगा जिसमें निविदाकार/उनके अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं।
11. निविदाकार द्वारा ई-निविदा में जमा ई.एम.डी. की राशि के आधार पर ही शक्कर की मात्रा निर्धारित किया जावेगा।
12. ऐसे निविदाकार जिनके द्वारा टेक्नीकल बीड में क्वालिफाई नहीं किया गया है, उन फर्मों का प्राईज बीड 03 (तीन) नहीं खोला जायेगा एवं उनके निविदा अमान्य कर दी जायेगी।
13. दर स्वीकृत होने पर निविदाकार को क्रय हेतु प्रस्तावित शक्कर की संपूर्ण राशि विक्रय आदेश से **10 दिवस** एवं आदेशित शक्कर मात्रा का उठाव **15 दिवस के अंदर** किया जाना अनिवार्य होगा। उपरोक्तानुसार क्रय की गई शक्कर की राशि **आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी. के माध्यम से** "दंतेश्वरी मैय्या सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित बालोद जिला-बालोद के नाम पर बैंक आफ बड़ौदा बालोद के **एकाउन्ट नम्बर 31360100006799** **आई.एफ.एस.सी. (IFSC) कोड BARBOBALODX** में जमा करना अनिवार्य होगा। **दिनांक 26/02/2024 को दोपहर 10:00 बजे तक ई.एम.डी. की राशि जमा किया जाना**

अनिवार्य होगा। उक्त निर्धारित समय तक ई.एम.डी. राशि जमा नहीं होने तथा कम पाए जाने पर निविदा फार्म निरस्त माना जावेगा। जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी क्रेता की होगी।
ई.एम.डी. की राशि जमा नहीं होने पर निविदा निरस्त की जाएगी।

14. शक्कर क्रय की राशि जमा एवं उठाव हेतु समय की गणना जारी आदेश से शासकीय एवं साप्ताहिक अवकाश के दिनों को मिलाकर की जायेगी।
15. निविदा प्रपत्र के साथ **5% ई.एम.डी. राशि** जमा किया जाना अनिवार्य है तथा शक्कर का विक्रय निविदा में जमा ई.एम.डी. राशि के आधार पर निविदा में प्राप्त उच्चतम दर को प्राथमिकता के आधार पर जमा ई.एम.डी. के अनुसार ही सौदा दर्ज किया जायेगा।
16. निविदा प्रपत्र में निविदाकार द्वारा हस्ताक्षर करने के उपरांत उसका पुरा नाम पता एवं किस हैसियत से, जैसा कि स्वामी, भागीदार, मुस्तयार या संचालक के रूप में हस्ताक्षर किया उसका उल्लेख करना अनिवार्य हैं। निविदाकार की ओर से अधिकृत व्यक्ति द्वारा अगर निविदा प्रस्तुत की जाती है तो इस संबंध में नोटरी द्वारा सत्यापित अधिकार पत्र के दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। सत्यापित अधिकार पत्र के अभाव में निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा, अगर कंपनी/समिति, द्वारा अधिकार पत्र जारी किया जाता है, तो अधिकार पत्र पर सभी भागीदारों के नाम सहित फर्म/कंपनी/समिति प्रमुख के हस्ताक्षरमय सील होना अनिवार्य हैं। भागीदारी फर्म होने की दशा में भागीदार के नाम, पता, फोटो, पेन कार्ड की प्रमाणित प्रति सहित दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इसके हर पृष्ठ पर निविदाकार के सील सहित हस्ताक्षर होना अनिवार्य हैं।
17. निविदाकार को शासन के नियमानुसार प्रचलित दर पर सभी जी.एस.टी. /कर/शुल्क/टी.सी.एस. इत्यादि का भुगतान पृथक से करना अनिवार्य होगा। शक्कर की डिलवरी शक्कर कारखाना/गोदाम से **'जो है जैसा है'** की स्थिति में दी जायेगी।
18. यदि एच-1 फर्म द्वारा क्रय प्रस्तावित मात्रा संस्था द्वारा प्रस्तावित विक्रय मात्रा से कम है तो शेष मात्रा का विक्रय हेतु सर्वप्रथम एच-1 दर प्राप्त फर्म को आमंत्रित किया जावेगा फिर भी शेष होने पर अन्य फर्मों से दर भी आमंत्रित किया जायेगा।
19. **निविदा फार्म सबमिट करने के पहले निविदाकार/फर्म के द्वारा, स्वयं या अपने प्रतिनिधि के द्वारा मॉल की गुणवत्ता सुनिश्चित करें। तत्पश्चात विक्रय किया हुआ शक्कर कारखाने से बाहर ले जाने के बाद वापस नहीं लिया जावेगा तथा कारखाने से बाहर जाने के पश्चात् माल संबंधी किसी भी विवाद के लिए कारखाना जिम्मेदार नहीं रहेगा।**

20. शक्कर का उठाव शासकीय एवं साप्ताहिक अवकाश को छोड़कर कार्यालयीन दिवसों में और कार्यालयीन समय पर ही किया जा सकेगा।
21. शक्कर की डिलीवरी, लोडिंग/बिलिंग वाहनो मे लदी Namber Of bag (बैग की मात्रा) को धरम कांटे में प्राप्त कुल वजन \pm 50 किलो ग्राम के आधार पर किया जायेगा तथा डिलीवरी हेतु वाहनो का प्रवेश प्रातः 10:30 से 3:30 बजे एवं निर्गमन शाम 5:30 बजे तक किया जायेगा।
22. शक्कर डिलवरी लेते समय पार्टी स्वयं या अपने प्रतिनिधि के समक्ष गाड़ी लोड करावें। विक्रय किया हुआ शक्कर कारखाने से बाहर ले जाने के बाद कारखाने की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
23. छ.ग. शासन के परिवहन के निर्देशानुसार शक्कर की डिलवरी वाहन की पासिंग क्षमता के अनुरूप डिलवरी प्रदान की जावेगी।
- 24 केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देश, मूल्य निर्धारण, कर/टैक्स/शेष का भुगतान शासन के नियमानुसार देय होगा, यदि शासन द्वारा भविष्य में न्यूनतम शक्कर विक्रय मूल्य अथवा टैक्स में वृद्धि की जाती है तो दर एवं टैक्स की भावांतर राशि क्रेता द्वारा देय होगा।
- 25 शक्कर की डिलवरी हेतु प्रत्येक गाड़ी की बिल्टी गाड़ी के साथ लाना अनिवार्य होगा। बिल्टी प्रस्तुत करने के पश्चात् ही गाड़ी लोडिंग करने हेतु अनुमति प्रदान की जावेगी।
- 26 विक्रय की गई संपूर्ण शक्कर की राशि जमा एवं उठाव निर्धारित समय मे नहीं होने पर ई.एम.डी. राशि राजसात एवं विक्रय आदेश निरस्त के संबंध में प्रबंधन का निर्णय मान्य होगा।
- 27 क्रय की गई संपूर्ण शक्कर की उठाव नियमित रूप से प्रतिदिन करनी होगी, उठाव समय में नहीं होने पर किसी प्रकार की आर्थिक व्यय एवं क्षति की जिम्मेदारी क्रेता की होगी एवं ई.एम.डी. राशि जब्त कर ली जायेगी।
- 28 निविदा में क्रय की गई संपूर्ण शक्कर का उठाव नियमित रूप से प्रतिदिन नहीं किए जाने एवं उठाव संतोषजनक नहीं होने की स्थिति में बीच में ही उसी निविदा दर पर अन्य फर्म को विक्रय आदेश जारी किया जा सकता है जिसकी जिम्मेदारी पूर्व में क्रय करने वाले क्रेता की होगी।
- 29 जिस फर्म के नाम से विक्रय आदेश जारी की जायेगी बिल उसी के नाम से बनेगी।

- 30 किसी प्रकार के विवाद होने की दशा में कार्यालयीन क्षेत्राधिकार जिला बालोद सहकारी क्षेत्र का सक्षम न्यायालय के अधिकार के अंतर्गत रहेगा।
- 31 शक्कर विक्रय की मात्रा कम या अधिक करने का अधिकार कारखाना प्रबंधन की होगी।
- 32 ई.एम.डी. की राशि का शक्कर विक्री के बिल में समायोजन/भुगतान शक्कर की सम्पूर्ण मात्रा का उठाव के पश्चात् ही ई.एम.डी. की राशि वापस/समायोजित की जावेगी।
- 33 शक्कर लोडिंग एवं अनलोडिंग का कार्य क्रेता के द्वारा किया जावेगा।
- 34 निविदा फार्म सबमीट करने के समय निविदाकार के द्वारा निविदा में क्य करने की मात्रा के साथ ही साथ 05 प्रतिशत (5%) ई.एम.डी. की राशि जमा किया जाना अनिवार्य होगा। ई.एम.डी. राशि कम पाए जाने पर निविदा फार्म निरस्त माना जावेगा। जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी क्रेता की होगी।
- 35 निविदाकार/क्रेता के द्वारा शक्कर ई-निविदा तथा विक्रय आदेश में दिए गए शर्तों एवं नियम के तहत शक्कर की राशि जमा तथा उठाव निर्धारित समय-सीमा में नहीं किए जाने की स्थिति में उक्त फर्मों/निविदाकार/क्रेता की निविदा अमान्य करने/ब्लेकलिस्ट करने का सम्पूर्ण अधिकार प्रबंध संचालक की होगी।
- 36 इस फार्म की 1 से 36 तक की नियम व शर्तें पूर्णतः समझकर मेरे द्वारा निविदाफार्म में नीचे हस्ताक्षर किया गया।

निविदाकार का हस्ताक्षर

नोट:-शक्कर लोडिंग एवं अनलोडिंग का कार्य क्रेता के द्वारा किया जावेगा।

चार— प्रबंध संचालक का अधिकार —

प्रबंध संचालक अथवा उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि/समिति को निम्नानुसार अधिकार होगा।

1. निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत करने एवं किसी भी प्रकार के परिवर्तन/निगोशियेशन संबंधी संपूर्ण अधिकार।
2. प्रबंध संचालक/उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि/समिति की दृष्टि में निविदा निरस्त करने योग्य कोई कारण हो तो किसी भी समय निविदा निरस्त करने का सम्पूर्ण अधिकार होगा। ऐसी स्थिति में निविदाकार को कारण बताना आवश्यक नहीं होगा।
3. फर्म/व्यवसायी द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन नहीं करने पर अमानत राशि जप्त करने/अन्य फर्म/व्यवसायी को शेष शक्कर की मात्रा विक्रय करने एवं अन्य समवर्ती सम्पूर्ण अधिकार।
4. किसी भी शर्त को शिथिल करने अथवा कोई अन्य शर्त आरोपित का सम्पूर्ण अधिकार।
5. निविदाकार/क्रेता के द्वारा शक्कर ई-निविदा तथा विक्रय आदेश में दिए गए शर्तों एवं नियम के तहत शक्कर की राशि जमा तथा उठाव निर्धारित समय-सीमा में नहीं किए जाने की स्थिति में उक्त फर्मो/निविदाकार/ क्रेता की निविदा अमान्य करने/ब्लेकलिस्ट करने का सम्पूर्ण अधिकार प्रबंध संचालक की होगी।

मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान के अनुसार सही और सत्य है जिनके गलत पाये जाने पर कारखाना प्रबंधन द्वारा किसी भी स्तर पर निविदा/विक्रय आदेश निरस्त कर सकती है। शक्कर कारखाना द्वारा शक्कर विक्रय हेतु निर्धारित नियम/शर्त/प्रक्रियाओं को पढ़ और समझ लिया है जो मुझे मान्य है। मेरे द्वारा शक्कर क्रय हेतु निविदा दर लिफाफा-तीन व्यावसायिक भाग पर प्रस्तुत किया जा रहा है।

दिनांक

निविदाकार का हस्ताक्षर

नाम.....

पता.....

.....
फर्म का मुहर

1. – विक्रय सामग्री का विवरण –(तकनीकी भाग दो में रखें)

ई-निविदा क्रं.. 152766 /

दिनांक 26 / 02 / 2024

प्रति,

प्रबंध संचालक,
दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर
कारखाना मर्या. बालोद
जिला- बालोद (छ.ग.)

दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर सहकारी शक्कर कारखाना मर्या. बालोद जिला- बालोद (छ.ग.) द्वारा शक्कर विक्रय हेतु जारी ई-निविदा क्रमांक 152766 में उल्लेखित विवरण के आधार पर शक्कर क्रय हेतु मेरे द्वारा तकनीकी भाग (भाग-दो) में समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण कर ऑनलाईन निविदा में E-Procurement Portal: <https://eproc.cgstate.gov.in>) में upload कर दी गई है और अब इस पत्रक के माध्यम से नीचे उल्लेखित अनुसार मात्रा उनके सामने अंकित दर पर क्रय करने के लिये निविदा प्रस्तुत किया जा रहा है।

| क्रं. | उत्पादन वर्ष | विक्रय हेतु प्रस्तावित मात्रा लगभग है जो कि कम/ज्यादा हो सकती है | क्रय हेतु प्रस्तावित मात्रा (क्विंटल में) | रिमार्क |
|-------|--------------|--|---|---------|
| 1 | 2023-24 | 15000 क्विंटल (शक्कर एस-30) | | |

2.- जमा की गई अमानत/ई.एम.डी. राशि का विवरण-

1. आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी.- राशिक्रमांक - दिनांक.....
2. जारीकर्ता बैंक का नाम एवं पता -

दिनांक.....

निविदाकार/प्रतिनिधि का हस्ताक्षर
नाम एवं पता.....

.....
उद्योग/फर्म की सील

शक्कर विक्रय हेतु ई-निविदा प्रपत्र

दंतेश्वरी मैय्या सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित बालोद
ftyk&ckykn ¼N-x-½

ई-निविदा क्रं./152766/दिनांक 16/02/2024

3 – कय हेतु प्रस्तावित मात्रा एवं दर – (व्यावसायिक भाग (भाग-तीन में रखें))

| क्रमांक | विक्रय हेतु प्रस्तावित शक्कर का ग्रेड | उत्पादन वर्ष | कय हेतु प्रस्तावित मात्रा (क्विंटल में) | दर प्रति क्विंटल में समस्त टेक्स रहित | रिमार्क |
|---------|---------------------------------------|--------------|---|---------------------------------------|---------|
| 01 | शक्कर एस – 30 | 2023-24 | | | |

4 – व्यवसायी/फर्म का विवरण –

1. फर्म का नाम एवं पूर्ण पता –
2. मालिक/संचालक का नाम
3. दूरभाष/मोबाईल नम्बर
4. ई-मेल
5. जी.एस.टी.नं. की छायाप्रति
6. पेन कार्ड की छायाप्रति स्वयं के द्वारा प्रमाणित
7. खाद्य विभाग से जारी लाईसेंस की छायाप्रति स्वयं के द्वारा प्रमाणित
वैधता तिथि

निविदाकार का हस्ताक्षर
एवं मुहर

5 – प्रतिनिधि का विवरण –

1. प्रतिनिधि का नाम एवं पूर्ण पता –

निविदाकार का प्रतिनिधि का हस्ताक्षर
एवं मुहर